(39)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 663–तीन/2003 – विरूद्ध आदेश दिनांक 31–1–2003 – पारित द्वारा – अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 85/01–02 निगरानी

श्रीमती रामश्री पत्नि इन्दरलाल रावत
निवासी जौरा तहसील जौरा जिला मुरैना ----आवेदक

विरूद्ध

1– रामविलास 2– भरोसीलाल
निवासीगण जौरा जिला मुरैना
3– सेन्ट्रल रेल्वे जौरा द्वारा
मुख्य रेल पथ निरीक्षक जौरा 5– बृजमोहन
4– मण्डल रेल प्रबंधक (कार्य) झांसी,उ0प्र0
5– बरिष्ठ खंड अभियॅता(रेल पथ) ग्वालियर ----अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(दिनांक 4–2– 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 85/2001–02 निगरानी में पारित आदेश दि. 31–1–2003 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि तहसीलदार जौरा के न्यायालय में प्रचलित प्रकरण कमांक 3/2000-01 अ 13 में आवेदिका ने व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 10 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में विचारित भूमि से हितबद्ध होना बताते हुये पक्षकार बनाये जाने की मांग की। तहसीलदार जौरा ने अंतरिम आदेश दिनांक 4-3-02 से आवेदन अस्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 43/01-02 में पारित आदेश दिनांक 6-4-2002 से निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की गई एंव प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि आवेदक व्दारा व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 10 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुनकर निराकरण किया जावे। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 85/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 31-1-2003 से निगरानी स्वीकार कर अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 6-4-02 निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि जिस भूमि पर विवाद है उसी भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित है एंव मान0 व्यवहार न्यायालय ने आवेदक को हितबद्ध पक्षकार नहीं माना है इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाई है, जिसमें केवल व्यवहार न्यायालय के आदेश को स्थगित किया गया है आवेदक हितबद्ध

पक्षकार है या नहीं , इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं हुआ है। व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है जिसके कारण अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 85/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-1-2003 में पूर्ण विवेचना कर निष्कर्ष दिया है । वैसे भी माननीय उच्च न्यायालय से जो भी आदेश होगें, व्यवहार न्यायालय पर एंव राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकर होकर पालन अनिवार्य होगा, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 85/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-1-2003 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर